

प्रेषक,

पी0 गुरुप्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 17 मई, 2024

विषय:- उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (यथासंशोधित) की धारा-80 के अन्तर्गत लिये जाने वाले शुल्क के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (यथासंशोधित) की धारा-80 के अन्तर्गत कृषि भूमि को अकृषक किये जाने की उद्घोषणा की कार्यवाही हेतु उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली यथासंशोधित के नियम-85(2) के अनुसार उद्घोषणा आवेदन शुल्क के रूप में सम्बन्धित जिले के कलेक्टर द्वारा कृषि प्रयोजन के लिये निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार आगणित रकम का एक प्रतिशत लिये जाने एवं नियम-191 के अन्तर्गत उपयुक्त न्यायालय शुल्क के रूप में उद्घोषणा हेतु आवेदन शुल्क के समान एक प्रतिशत लिये जाने का प्राविधान था। उ0प्र0 राजस्व संहिता (पंचम संशोधन), नियमावली 2023 दिनांक-03/08/2023 द्वारा न्यायालय शुल्क ₹0 50/- जमा किये जाने का प्राविधान किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में उद्घोषणा आवेदन शुल्क सर्किल रेट का एक प्रतिशत एवं उपयुक्त न्यायालय शुल्क ₹0 50/- लिये जाने की व्यवस्था प्रभावी है।

2- शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय जनपदों में अभी भी उद्घोषणा शुल्क के रूप में प्राविधानित सर्किल रेट का एक प्रतिशत एवं एक प्रतिशत न्यायालय शुल्क अर्थात् कुल दो प्रतिशत न्यायालय शुल्क की मांग की जा रही है, जो नियमानुकूल नहीं है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि उक्त तथ्य का संज्ञान लेते हुए उक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

पी0 गुरुप्रसाद

प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
- (2) समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ।
- (3) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
- (4) प्रतिनिधि, इन्वेस्ट यू0पी0।
- (5) निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- (6) राजस्व विभाग के समस्त अनुभाग।
- (7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राम रतन

विशेष सचिव।